न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45/2021

अपीलांट्स –

1. बाबूलाल पुत्र राणाराम
2. स्व0 गोरधनराम के कायम मुकाम
   i. चन्द्राराम पुत्र गोरधनराम
   ii. भागीरथराम पुत्र गोरधनराम
   iii. मैना पुत्री गोरधनराम
   iv. दुर्गादेवी पुत्री गोरधनराम
   v. रूपोंदेवी पत्नी गोरधनराम
3. गेपरराम पुत्र राणाराम
4. घेवरराम पुत्र राणाराम

जातियान मेघवाल निवासीयान देवरिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. उप तहसीलदार कल्याणपुर
2. कालूराम पुत्र जवाराम
3. हीराराम पुत्र गुमनाराम
4. स्व0 रूकड़राम पुत्र गुमनाराम के विधिक वारिसान
   i. मांगीलाल पुत्र रूकड़राम
   ii. नारायण जयपाल पुत्र रूकड़राम
   iii. शांति पत्नी रूकड़राम
5. कानाराम पुत्र गुमनाराम
6. गिरधारी राम पुत्र गुमनाराम
7. पांचीदेवी पुत्री जवाराराम
8. चम्पादेवी पुत्री जवाराराम (प्रफॉर्मा पक्षकार)
9. नेनूराम पुत्र राणाराम
10. उत्तमाराम पुत्र बुधाराम
11. कुम्भाराम पुत्र बुधाराम
12. चांदाराम पुत्र बुधाराम
13. ईसराराम पुत्र बुधाराम

जातियान मेघवाल निवासीयान देवरिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धा[illegible] अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 583 जो दिनांक 02[illegible].20[illegible] को उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा रेस्पोडेंट [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:25 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री ईश्वरसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 से 8 एवं 10 से 13 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 13.07.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बांकियावास कला के नामान्तरकरण सं. 583 पर उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बांकियावास कला के खसरा नम्बर 225 रकबा 76–06 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि कालुराम पुत्र जवाराराम पांची देवी चम्पादेवी पुत्रियां हिराराम हि0 1/4 रूकड़राम कानाराम गिरधारीराम पि0 गुमनाराम हि0 5/28 उत्तमाराम कुम्भाराम चांदाराम ईसाराम पि0 बुधाराम सुआ पत्नी बुधाराम हि0 1/4 गोरधन पुत्र राणाराम हि0 1526/30520 गेपरराम घेवरराम पि0 राणाराम हि0 4812/30520 बाबूलाल पुत्र राणाराम हि0 4246/30520 नेनूराम वल्द राणाराम 4676/30520 कौम भाम्भी सा0 देशिया खातेदारान के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा अपनी भूमि का विभाजन कराने हेतु उप तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके संलग्न विभाजन नक्शा में अलग–अलग हिस्से बरंग दर्शाये गये। उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रार्थना–पत्र पर पक्षकारान की स्वतंत्र सहमति उपरान्त विभाजन स्वीकार कर रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 31.05.2017 जारी किया गया। हल्का पटवारी आसराबा द्वारा उप तहसीलदार कल्याणपुर के उक्त आदेश क्रमांक/लोअ/2017/1171 दिनांक 31.05.2017 की पालना में सहमति बंटवाडा का नामान्तरकरण सं. 583 दिनांक 26.05.2017 दायर कर उप तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा दिनांक 02.06.2017 को स्वीकृत किया गया। अपीलांट्स ने उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा किये गये नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:25 IST
Reason: SelfAttested

के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 13 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि मौजा बांकियावास कला पटवार हल्का आसराबा के खसरा नंबर 225 रकबा 76–06 बीघा में आई हुई है। पक्षकारान ने वर्ष 2017 के लोक अदालत अभियान में आपसी सहमति से सभी खातेदारों द्वारा हस्ताक्षर कर अपनी उक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा आदेश क्रमांक 1171 दिनांक 31.05.2017 पारित करवाया था। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट्स के हिस्से में आई भूमि के स्थान पर सहखातेदारान रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 के नाम दर्ज कर गलत रूप से नामान्तरकरण दायर किया जिसे उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा दिनांक 02.06.2017 को स्वीकृति किया गया है। अपीलाधीन खसरे के सहमति बंटवाडा अनुसार बरंग काले रंग से दर्शित भूमि अपीलांट गोरधनराम को दी गई थी जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 583 के अनुसार उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण पारित किया गया है। इसी प्रकार सहमति बंटवाडा में हरे रंग का हिस्सा बाबूलाल को दिया गया था जबकि उक्त नामान्तरकरण में यह हिस्सा अपीलांट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 9 से 13 को सहमति बंटवाडा अनुसार ही हिस्से में भूमि आई है तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण में भी दर्ज की गई है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा उक्त रेस्पोडेंट्स से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है किन्तु सहखातेदार होने व सहमति बंटवाडा में पक्षकार होने से उन्हें इस अपील में बतौर प्रफॉर्मा पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 583 [illegible] की अनदेखी की गई है और भौतिक सत्यापन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण पारित किया है जो खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि जब अपीलांट ने दिनांक 01.08.2020 को सहकारी समिति से ऋण प्राप्त करने हेतु अपने खेत की नकल प्राप्त की तब उसे अपने हिस्से की गलत तरमीम की जानकारी हुई। इस क्रम में अपीलांट ने दिनांक 16.11.2021 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील अंदर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 व 10 से 13 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विभाजन स्वीकृति आदेश के अनुसरण में दायर कर स्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलांट्स यदि विभाजन स्वीकृति आदेश से व्यथित हैं तो उसके विरूद्ध चाराजोही प्रस्तुत कर सकते हैं। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सहमति से विभाजन पश्चात काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अतः अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 583 लोक अदालत अभियान 2017 में पारित सहमति बंटवाडा आदेश क्रमांक 1171 दिनांक 31.05.2017 की पालना के क्रम में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी के आधार पर उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि मूल नामान्तरकरण में विभाजित खसरों में सहमति बंटवाडा के नक्शे में भरे गये रंगों से भिन्नता है। अपीलाधीन खसरे के सहमति बंटवाडा अनुसार बरंग काले रंग से दर्शित भूमि अपीलांट गोरधनराम को दी गई है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 583 के अनुसार उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण पारित किया गया है। इसी प्रकार सह[illegible] हिस्सा बाबूलाल को दिया गया है जबकि उक्त नामान्तरकरण में [illegible] अपीलांट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किया गया है। [illegible] सहमति बंटवाडा अनुसार ही हिस्से में भूमि आई है तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण में भी दर्ज की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करने का मूल विभाजन स्वीकृति

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश एवं विभाजन नक्शा का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विभाजन स्वीकृति आदेश के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही मूल नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम में विभाजन खसरा के नंबर में कांट–छांट कर परिवर्तन किया जाना पाया जाता है। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण एवं आदेशानुसार नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है। जहां तक इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में मयाद का प्रश्न हैं तो अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल विभाजन स्वीकृति आदेश को अनदेखा करते हुए अवैध रूप से पारित आदेश प्रारम्भ से शून्य की परिभाषा मे आता हैं जिसके लिये मयाद बाधित नहीं हैं। हस्तगत अपील में अभिलेखीय तौर पर साबित है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय के आदेश अनुसार नहीं भरा गया हैं जो अवैध आदेश है तथा नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का भी कोई साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध एवं प्रारम्भ से शून्य आदेश की परिधि में आने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा मौजा बांकियावास कला के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 583 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 31.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में समग्र दस्तावेजों की जांच उपरान्त नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न करें।

9. निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:25 IST
Reason: SelfAttested